अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

89/2020/ कन्टे० चेतसिंह V/s रामसिंह

तारीख पेशी	2020/00089 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-2 अ.मु. श्री सूरज सिंह चौहान श्री हसन खां।	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
25.8.22	प्रार्थना–पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। प्रार्थना–पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।	

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा दिनांक 27.08.2019 को अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई करते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को खारिज किये के आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 25.10.2019 को इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि"अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें, तब तक उभय पक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 37 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी वाकै ग्राम रोहिडा खेडा तहसील ब्यावर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाय रखी जावें" किन्तु दिनांक 02.11.2019 को वादग्रस्त भूमि में पानी पीलाकर जबरन खेतो की खडाई करवाते हुए खेतो में गेहू की फसल बो दी है एवं दिनांक 04.03.2020 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से व्यक्तिगत मिलकर माननीय न्यायालय के आदेश की पालना किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थीगण नही माने व वादग्रस्त खेतो में से देसी बबूल के पेडो को काटकर ले गये व पुनः दीवान बनना चालू कर दिया इसलिए न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 20.11.2019 को व दिनांक 04.03.2020 को माननीय न्यायालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना कारित की गई है कि जिस हेतु अप्रार्थीगण को सख्त दण्ड से दण्डित किया जाना उत्यन्त आवश्यक, विधिक व न्यायसंगत अन्यथा न्यायिक आदेश का कोई महत्व ही नही रह जायेगा। माननीय न्यायालय से अनुरोध हैकि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायिक अवमानना हेतु अप्रार्थीगण को सख्त दण्ड से दण्डित किया जावें एवं अप्रार्थीगण को सिविल जेल में भिजवाया जावें व वादग्रस्त आराजीयात के रूप में किये गये परिवर्तन को पूर्ववत स्थिति दिनांक 25.10.2019 से पूर्व की स्थिति में लाये जाने बाबत् अप्रार्थीगण द्वारा किये गये रूप में परिवर्तन को अप्रार्थीगण के खर्चे से साफ करवाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात कि दिनांक 02.11.2019 व दिनांक 04.03.2020 से पूर्व की स्थिति में किये जाने हेतु अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावें एवं अप्रार्थीगण को इस आशय से पुनः पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भाग में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करें व ना ही भूमि मे से कोई पेड़ काटे व ना ही भूमि में गढ्ढे करें व ना ही भूमि में फसल आदि बोवे, एवं वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी. सिविल कन्टे.पीटिशन संख्या 559/2006 आदेश दिनांक 30.07.2020 के आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना–पत्र बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया हुआ है जो कि जेरकार है। अप्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे के विभाजन के लिए तैयार है तथा वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लगातार...

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2020/00089/कन्टे० नेतसिंह V/S रामसिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2020/00089 अपीली 2 स.० श्री सूरजसिंह चौहान श्री हसन खां ।	

जो कि पक्षकारान की सह–खातेदारी की आराजी रही है व सभी पक्षकार अपने–अपने हिस्से की आराजीयात पर जुताई–बुआई करते आ रहे है, न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना नही की गई है। प्रार्थी के द्वारा अवमानना के तथ्य न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित है जिसे प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। शेष प्रार्थना है जो किसी भी प्रकार की साक्ष्य से प्रमाणित नही होने से तथा मिथ्या व बेबुनियाद आधारों पर अवमानना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र बाबत् अवमानना अन्तर्गत आदेश 39 बाबत् अवमानना अन्तर्गत आदेश 39(2)(ए) सी.पी.सी.सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत पोषणीय नही होने से, मिथ्या कथनो के आधार पर प्रस्तुत होने से प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2019 की अवमानना किये अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, चुँकि न्यायालय द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 25.10.2019 को प्रतिप्रेषित किया गया था तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के प्रकरण संख्या 56/2019 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है इसलिए उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर तहसीलदार, ब्यावर को निर्देशित करें कि न्यायालय(राजस्व अपील प्राधिकारी(राजस्व अपील प्राधिकारी) के आदेश दिनांक 25.10.2019 को पालना में तहसीलदार, ब्यावर को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय के आदेश दिनांक 25.10.2019 की पालना कर पालना रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि तहसीलदार, ब्यावर एवं अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की पालना नही करते है तो प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः कन्टेम्प्ट (अवमानना) की कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र है। प्रार्थना–पत्र उपरोक्तनुसार निर्णित किया जाता है। प्रार्थना–पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर